न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 116 / 2019

प्रार्थीगणः—

1. मावाराम पुत्र उदाराम
2. चिमनाराम पुत्र उदाराम
3. सिणगारीदेवी पत्नी मावाराम जाति कलबी निवासी पादरडी हाल निवासी नई वाली तहसील बागोडा जिला जालोर

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. पाबूराम पुत्र गोकलाराम
2. सांवलाराम पुत्र गोकलाराम
3. गोमाराम पुत्र गोकलाराम
4. रमकू पुत्री चैनाराम
5. सोहनी पुत्री चैनाराम
6. मालाराम पुत्र पदमाराम
7. धुडाराम पुत्र दुर्गाराम
8. अणसी बेवा हीराराम
9. सालूराम पुत्र हमीरराम
10. भेराराम पुत्र वालराम
11. नैनाराम पुत्र वालाराम
12. ताजाराम पुत्र वालाराम
13. चूनाराम पुत्र वालाराम
14. नवाराम पुत्र दमाराम
15. खेताराम पुत्र दमाराम
16. वरजूदेवी पत्नी दमाराम
17. गणेशाराम पुत्र देवाराम
18. कानाराम पुत्र कुम्भाराम
19. अचलाराम पुत्र कुम्भाराम
20. चुनीलाल पुत्र कुम्भाराम
21. लिखमाराम पुत्र कुम्भाराम जातियान जाट
22. आम्बाराम पुत्र फूआराम
23. हरदाराम पुत्र फूआराम
24. समदा पत्नी फुआराम
25. रूपाराम पुत्र जगाराम
26. मांहिगाराम पुत्र गुणेशाराम
27. बीजलाराम पुत्र जोराराम
28. भारताराम पुत्र जोराराम
29. प्रहलादराम पुत्र जोराराम
30. नरीगाराम पुत्र मांगाराम
31. नाराणाराम पुत्र मांगाराम
32. खंगाराम पुत्र मांगाराम जातियान रबारी
33. चनणीदेवी पत्नी चूनाराम जाति [illegible] निवासीयान [illegible] तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
34. नारायणसिंह पुत्र बलवन्तसिंह
35. शैलसिंह पुत्र बलवन्तसिंह
36. रामसिंह पुत्र नगसिंह
37. श्यामसिंह पुत्र नगसिंह
38. महेन्द्र पुत्र नगसिंह
39. उतमसिंह पुत्र नगसिंह
40. भंवरसिह पुत्र डूंगरसिंह
41. लाधूसिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति राजपूत
42. डूंगरसिंह पुत्र खंगाराराम
43. जगराम पुत्र खंगाराराम जाति जाट निवासीयान गादेवी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
44. तहसीलदार गुडामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:55:52 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री गंगाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक :–

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण की विद्वान अधिवक्तागण की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2072–2075 सरहद मौजा पादरडी कला पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुडामालानी के खेत खसरा नम्बर 116 रकबा 75–18 बीघा भूमि का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा पादरडी कलां पटवार मण्डल सिंधासवा हरिनयान तहसील गुडामालानी के खेत खसरा खसरा नम्बर 116 रकबा 75–18 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। [illegible] जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया [illegible] पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:55:52 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 24/[illegible]/20 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सुनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी